18/03/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अप.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय-
अलग से लिखकर जाकर शामिल किया गया।
डिक्री जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2024/109

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:26 IST
Reason: SelfAttested

5)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

मनोज कुमार जाखड़ बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमाः– 88,209 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–51 / 2024 (GCMS No. 2024/109)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 3 पीपीएन की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता नं. 47 / 33 के पत्थर नं. 132 / 24 (68) के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 17 कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में वादी का नाम मघाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम मनोज कुमार जाखड़ पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जाना था। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, कक्षा 10 व 12 वीं की अंकतालिका में मनोज कुमार जाखड़ है। वादी को बचपन में लाड प्यार से मघाराम के नाम सम्बोधित किया जाता था। इसलिये वादी का नाम मघाराम दर्ज हो गया। वादी व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी नं. 01 ने जवाब स्टैट को दोहराते हुए राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसील सूरतगढ़ के चक 3 पीपीएन की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता नं. 47 / 33 के पत्थर नं. 132 / 24 (68) के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 17 कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड भूमि मघाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किसनपुरा खाातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रधानाचार्य रा0आ0उ0मा0वि0 5 ए0एस0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 403 दिनांक 23.01.2024, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान जारी अंक तालिका, आधार कार्ड संख्या 5242 1472 1342, आयकर विभाग जारी कार्ड नं. एवीआरपीजे1518क्यू तथा सरपचं ग्राम पंचायत राजपुरा पीपेरन जारी प्रमाण पत्र क्रमांक स्पे. 01 दिनांक 29.06.2023 में वादी का नाम मनोज कुमार जाखड़ पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट बताया है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य वादी में लिखित बयान प्रस्तुत किये है। स्टैट की ओर से कोई विपरित टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 3 पीपीएन की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता नं. 47 / 33 के पत्थर नं. 132 / 24 (68) के किला नं. 6 ता 8, 13 ता 17 कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड भूमि में काश्तकार का नाम "मघाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किसनपुरा खातेदार " के स्थान पर "मघाराम उर्फ मनोज कुमार जाखड़ पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़" अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.03.18 16:03:26 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	